

ट्रैफिक चालानों

के निपटारे का एक मौका

राष्ट्रीय लोक अदालत

निपटारा करें

सभी प्रकार के वाहनों (व्यवसायिक वाहनों सहित)
नोटिस ब्रांच द्वारा जारी लंबित चालानों और समझौते के अयोग्य
ट्रैफिक अपराधों का तुरन्त निपटारा

दिनांक: 8 अप्रैल 2017

समय : प्रातः 10 बजे से साँय 4 बजे तक

स्थान

ट्रैफिक चालानों के तुरन्त निपटारे के लिए सभी संबंधित
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यातायात कोर्ट में

नोटिस ब्रांच ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी चालानों के लिए
तीस हजारी, पटियाला हाऊस, कडकडूमा, रोहिणी, द्वारका एवं साकेत
के किसी भी छह न्यायालय परिसर में।

समझौते के अयोग्य ट्रैफिक अपराधों के लिए
संबंधित जिला न्यायालय कॉम्प्लेक्स की विशेष अनुनय दण्ड समझौता अदालत में।

अपने वाहनों के लंबित/चालानों के बारे में जानने के लिए
लॉग इन करें www.delhitrafficpolice.nic.in



दिल्ली राज्य
विधिक सेवाएं प्राधिकरण
हेल्पलाइन : 42626

15/16



दिल्ली पुलिस

शांति सेवा न्याय
पुलिस को सूचना देने के लिए कॉल करें - 1090

DP/878017